न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	महावीर बनाम रामजीलाल हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा० पत्र कार्यवाही विवि० ... - 10/2023
15.09.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते आदेश निर्णय मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुयी। वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

15/09/2023

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)श्रीमाधोपुर (नीम का थाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10 / 2023	2023 / 21	19.01.2023	15.09.2023

उनवान

1. महावीर पुत्र जोधा आयु 40 साल जाति जाट निवासी ढाणी राणावाली तन ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—प्रार्थी—

बनाम

1. रामजीलाल
2. बीरबल
3. राकेश
4. रामोतार

   पुत्रगण भगवानसिंह
5. रामेश्वरी पत्नी भगवानसिंह

   जाति जाट निवासी ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
6. उप पंजीयक अजीतगढ़ जिला सीकर राजस्थान।
7. पटवार हल्का आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
8. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

——अप्रार्थीगण——

उपस्थित :–
श्री अनिल यादव एड0 प्रार्थी अभिभाषक।
श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थीगण संख्या 8।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:46 IST
Reason:SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया किकृषि भूमि खसरा नम्बर 194, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 214/817, 215, 217, 222/806 कुल किता 11 कुल रकबा 6.0100 हैक्टर तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसमें हिस्सा 1/120 का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा बाकी हिस्सा के खातेदार काश्तकार भू–अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 36 है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 36 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियां है। जिसका अभी तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रार्थी अपनी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 उक्त वर्णित कृषि भूमि को बिना विधिक तकास्मा करवाये दिगर भू–माफिया गिरोह के लोगों को बेचान रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा संयुक्त खातेदारी की आड़ में मनमर्जी से मनचाही जगह पर करवाने पर उतारू है तथा प्रार्थी को उसकी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है तथा कृषि भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने एवं निर्माण करने पर उतारू है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है एवं भूमि का विधिक विभाजन करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने प्रार्थी को दिनांक 15.01.2023 को धमकी दी है कि भूमि को बिना विधिक तकास्मा करवाये दिगर भू–माफिया गिरोह के लोगों को बेचान रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा संयुक्त खातेदारी की आड़ में मनमर्जी से मनचाही जगह पर करवाकर रहेगें तथा प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

दिलिप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

को उसकी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करवाकर रहेगें तथा कृषि भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करके रहेगे एवं मनमर्जी से मनचाही जगह पर निर्माण करके रहेगे। अतः कृषि भूमि खसरा नम्बर 194, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 214/817, 215, 217, 222/806 कुल किता 11 कुल रकबा 6.0100 हैक्टर तन ग्राम आसपुरा पटवार हल्का आसपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान को बिना विधिक तकास्मा कराये दिगर को विक्रय रहन अन्तरण नही करे, ना ही दिगर को मनमर्जी से मनचाही जगह पर बलात कब्जा करवाये, ना ही कृषि भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करे, ना ही अवैध निर्माण करे, ना ही प्रार्थी को उसके हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करे इत्यादि पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह खैरवा एड0 ने वकालतानामा पेश किया एवं जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 8 की तामिल सम्यक हो जाने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई ।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुये कथन किया कि उपर्युक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/120 प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा बाकी हिस्सा के खातेदार व तक अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 36 भू–अभिलेख, जमाबंदी दर्ज हिस्सानुसार है। उक्त वर्णित अराजीयान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 एवं दावे में वर्णित अन्य प्रतिवादीगण खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

दिलिप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जिसका अभी तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रार्थी अपनी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 उक्त वर्णित कृषि भूमि को बिना विधिक तकास्मा करवाये दिगर भू–माफिया गिरोह के लोगों को बेचान, रहन अन्तरण करना चाह रहे है तथा दिगर का बलात कब्जा संयुक्त खातेदारी की आड़ में मनमर्जी से मनचाही जगह पर करवाने पर उतारू हो रहे है एवं प्रार्थी को उसकी हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने, कृषि भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये अकृषि में परिवर्तन करने, निर्माण करने पर उतारू है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है एवं भूमि का विधिक विभाजन करवाने का अधिकारी है।इसलिये अप्रार्थीगण को ता दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया किप्रकरण में वादग्रस्त भूमि की पूर्व में 1/24 हिस्से की खातेदारी मृत्तक जोधा पुत्र हीराराम के नाम से अंकित थी तथा जोधा के स्वर्गवास होने पर उक्त 1/24 हिस्से की खातेदारी विरासतन् कमली देवी पुत्री स्व. जोधाराम उर्फ जोधा, कोयली देवी पुत्री स्व. जोधाराम उर्फ जोधा, गिरधारी पुत्र स्व. जोधाराम उर्फ जोधा, उर्मिला पत्नी गोपीराम पुत्रवधू स्व. जोधाराम उर्फ जोधा, बबलू पुत्र स्व. गोपीराम पुत्रवूध स्व. जोधाराम उर्फ जोधा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती उर्मिला देवी, महावीर पुत्र जोधाराम उर्फ जोधा, सुशीला पत्नी स्व. रूपचन्द पुत्र स्व. जोधाराम उर्फ जोधा, सचिन पुत्र स्व. रूपचन्द पुत्र स्व. जोधाराम उर्फ जोधा, रामा देवी पुत्री जोधाराम उर्फ जोधा, श्रवण पुत्र स्व. जोधाराम उर्फ जोधा समस्त जाति जाट निवासीगण आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर व मृत्तक नाथी देवी पत्नी स्व. जोधाराम उर्फ जोधा, प्रभाती पुत्री स्व. जोधाराम उर्फ जोधा व मृत्तक गोपीराम, रूपचन्द प्रत्येक के नाम से 1/120, 1/120 हिस्से की अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हुयी है।प्रकरण की उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के खातेदारी कब्जे काश्त व हक अधिकार की भूमि है। प्रार्थी के मृतक जोधा के नाम से दर्ज 1/24 हिस्से की खातेदारी भूमि पर पूर्व से अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का पिता/पति भगवानसिंह पुत्र रूघाराम काबिज काश्त चला आ रहा था तथा उक्त भूमि से मृतक जोधा का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं था। प्रार्थी के पिता व अन्य खातेदारान के मध्य अर्सा करीबन 50 वर्ष पूर्व ही बाहमी बंटवारा हो गया था जिसके अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से में आयी भूमियों पर काबिज काश्त व मकान बनाकर आबाद चले आ रहे है। अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 के पिता/पति स्व. भगवानसिंह प्रार्थी के पिता जोधा के नाम से दर्ज 1/24 हिस्से पर अर्सा कदीम से काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा उक्त 1/24 हिस्से की भूमि की खातेदारी अपने नाम से करवाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता/पति स्व. भगवानसिंह ने न्यायालयसहायक कलैक्टर श्रीमाधोपुर के यहां एक वाद उनवानी भगवानसिंह बनाम जोधा वगै. मुकदमा नम्बर 1010/1996 पेश किया । जिसके बाद में मुकदमा बी.टी. नम्बर 698/1999, 158/2002 व 682/2017 पड़े। उक्त वाद में प्रार्थी के मृत्तक पिता जोधा ने न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर अपना इकबाली जवाब दिनांक 26.07.1996 को पेश कर प्रार्थी के पिता जोधा ने स्वीकार किया कि "वादपत्र में वर्णित 1/24 की खातेदारी प्रार्थी भगवानसिंह के नाम अंकित करके मुझ अप्रार्थी का नाम हजफ कर दिया जावें।" इस प्रकार मृत्तक जोधा के नाम दर्ज 1/24 हिस्से पर पूर्व से ही अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 के पिता/पति स्व. भगवानसिंह वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 लगातार निर्विघ्न रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वाद पत्र दिनांक 17.05.2018 को मृत्तक अप्रार्थी जोधा की सहमति के आधार पर न्यायालय द्वार निर्णित कर डिक्री किया गया । लेकिन उक्त डिक्री में इजराय की कार्यवाही निष्पादित नहीं की गयी। अब पूर्व खातेदार अप्रार्थी जोधा का स्वर्गवास हो चुका है तथा जोधा के नाम दर्ज 1/24 हिस्से की खातेदारी उसके वारिसान प्रार्थी व इसके परिजनजो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

दिलिप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

कि मूल वाद में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में नियोजित है, ने अपने नाम से गलत अंकित करवा ली है। प्रार्थी के पिता जोधा के नाम नुमाईशी खातेदारी हिस्सा 1/24 चली आ रही थी । जिसके संबंध में अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 के पिता भगवान सिंह द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद में जोधा द्वारा ईकबालिया रूप से अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 के पिता भगवान सिंह के वादपत्र को स्वीकार कर लेने के कारण न तो उक्त जोधा के उक्त भूमि में कोई काश्तकारी अधिकार रहे तथा नही उक्त जोधा को कभी काश्तकारी अधिकार वादग्रस्त आराजीयान में कभी प्राप्त ही हुये है तथा माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 के पिता भगवान सिंह के हक में उक्त वादपत्र डिक्री किया है। परन्तु इसकी ईजराय की कोई कार्यवाही नही होने के कारण इस भूमि की खातेदारी जोधा के नाम ही दर्ज चलती रही। जिसका विरासत खाता खुलवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा लेने मात्र से प्रार्थी को कोई काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही हो जाते। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है। जिसके समर्थन में गवाहान के शपथ पत्र भी पेश किये है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण/उत्तरदाता को हैरान परेशान करने के आशय पेश किया गया है। जिसको सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण के अपनी बहस में किया है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने फर्द के साथ दस्तावेजात एवं गवाहान के शपथ पत्र दौराने बहस प्रस्तुत किए गए, जिन्हे शामील पत्रावली किया गया ।

उभय पक्षकारान को सुनने , पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के इस प्रार्थना पत्र के न्यायिक निर्णयन के लिए हमें तीन बिन्दुओं पर विचार करना है:–

- प्रथम दृष्टवा मामला
- सुविधा का संतुलन
- अपूर्णनीय क्षति ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:46 IST
Reason: SelfAttested

दिलिप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रथम दृष्टवा मामला :- इस बिन्दु के निर्धारण के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह तथ्य हमारे सामने स्पष्टरूप से दर्शित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/24 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी के पिता जोधा के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड रही है एवं प्रार्थी के नाम उक्त भूमि की खातेदारी उसके पिता जोधा से विरासत अनुसार ही दर्ज हुई है । इस तथ्य के बारे में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई विरोधाभास नही है । उक्त भूमि के संबंध में अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 के पिता/पति स्व. भगवानसिंह द्वारा न्यायालय सहायक कलैक्टर श्रीमाधोपुर के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 1010/1996 उनवानी भगवानसिंह बनाम जोधा वगै. पेश किया गया है। जिससे संबंधित दस्तावेजात वकील अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 दौराने बहस पेश किये है । जिनके परिशीलन से हमारे समक्ष यह तथ्य दर्शित होता है कि उक्त वाद में प्रार्थी के मृत्तक पिता जोधा ने अपना ईकबालिया जवाब दावा दिनांक 26.07.1996 को पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता भगवान सिंह के वादग्रस्त भूमि में 1/24 हिस्से के काश्तकारी अधिकारों स्वीकार किया है एवं वादपत्र में वर्णित 1/24 की खातेदारी प्रार्थी भगवानसिंह के नाम अंकित करके स्वयं का नाम हजफ कर दिये जाने बाबत ईकबालिया सहमति न्यायालय हाजा में पेश की है। उक्त वादपत्र न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.05.2018 को प्रार्थी के पिता जोधा की सहमति के आधार पर निर्णित कर डिक्री किया गया तथा स्टाम्प ड्युटी राजकोष में जमा करवाने बाबत निर्णय पारित किया है । इस संबंध में वकील प्रार्थी का कथन रहा है कि यदि अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 के पिता भगवान सिंह के हक में उक्त वादपत्र डिक्री हो गया था तो अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 को डिक्री के ईजराय की कार्यवाही करवाकर उक्त भूमि की खातेदारी भगवान सिंह या स्वयं अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 को अपने नाम दर्ज करवा कर राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम इन्दाज करवाना चाहिये था । परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने आज तक ईजराय नही करवाई है । यहां न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:34:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

10/10/23
दिलिप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

जोधा द्वारा अप्रार्थी नम्बर 1 ता 5 के पिता भगवान सिंह द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अपना 1/24 हिस्सा भगवान सिंह के नाम दर्ज करवाने की ईकबालिया जबाब दावा से सहमति दिये जाने व न्यायालय के द्वारा उक्त वादपत्र दिनांक 17.05.2018 को निर्णीत कर दिये जाने के परिणामस्वरूप उक्त जोधा या उनके वारिसान जो कि प्रार्थी व मूल वादपत्र में जोधा के वारिसान के रूप में नियोजित प्रतिवादी संख्या 29 ता 33 है, के कोई कानूनी हक अधिकार या काश्तकारी अधिकार वादग्रस्त भूमि में नही रहे है । उक्त जोधा की विरासत की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा लेने मात्र से प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि में कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो जाते । इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत गवाहान पालाराम पुत्र भागीरथ, अर्जुनलाल पुत्र गोविन्दराम, गुल्लाराम पुत्र चेताराम, कालूराम पुत्र हरदेव, बनवारी पुत्र भूरा, रामेश्वर पुत्र झुंथाराम, गणपत पुत्र धन्नाराम, सज्जनसिंह पुत्र नानकराम, जगदीश पुत्र भगवान सहाय के शपथ पत्रों से भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही होना एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का वादग्रस्त भूमि के 1/24 हिस्से पर कदीम से पुख्ता मकान व ट्यूबवैल बनाकर आबाद व कब्जा काश्त होना दर्शित होता है। इस प्रकार उक्त संपूर्ण विवेचन से प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टवा मामला साबित करने में विफल रहा है।

<u>सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति</u> :– सुविधा की दृष्टि से इन दोनो बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी प्रथम दृष्टवा ममाला साबित करने में विफल रहा है। अपने पिता जोधा के नाम दर्ज चली आ रही खातेदारी के आधार पर जरिये विरासत [illegible] प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, जबकि प्रार्थी के पिता ने अपने 1/24 हिस्से को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता भगवान सिंह के नाम खातेदारी दर्ज करवाने की सहमति प्रदान की है । ऊपर तथ्यों के विवेचन से वादग्रस्त भूमि पर जोधा का कब्जा काश्त नही होकर भगवान सिंह का कब्जा काश्त होना दर्शित होता है। भगवान सिंह की मृत्य के बाद बतौर वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का कब्जा काश्त होना दर्शित होता है। कानूनन काबिज काश्त व्यक्ति को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में कोई कब्जा काश्त नही होने से प्रार्थी को काबिज काश्त अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को अस्थाई निषेधाज्ञासे पाबंद करवाने का अधिकार नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत गवाहान के शपथ पत्र भी अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में है। अतः उक्त दोनो बिन्दु प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। अतः उक्त दोनो बिन्दू विरूद्ध प्रार्थी तय किये जाते है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी अपने पक्ष में विचारणीय बिन्दू के अपेक्षित तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टवा मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति को साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

15/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:46 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 15.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर